रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1987/वैशाख 24, 1909
No. 255] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1987/VAISAKHA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 498 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भांडागारण निगम नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भांडागारण निगम नियम, 1963 के नियम 43 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) निगम द्वारा या निगम की ओर से 2500 रुपए से अधिक सभी संदाय निम्नलिखित को छोड़कर चैक द्वारा किए जाएंगे :—

(1) श्रमिकों को मजदूरी और कर्मचारियों को वेतन का संदाय ; और

(2) प्रबंध निदेशक के लिखित अनुमोदन से आपवादिक मामलों में कोई अन्य संदाय ।"

[फा. सं. 6-8/87-एस. जी.]

एच. डी. बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 14th May, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 498 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 41 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, in rule 13, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) All payments exceeding Rs. 2500/- by or on behalf of the Corporation shall be made by cheque except :—

(i) Payment of wages to labourers and salaries to employees ; and

(ii) Any other payment, in exceptional cases, with the approval, in writing, of the Managing Director."

[F. No. 6-8/87-SG]

H. D. BANSAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987